राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक: F26(4)(18)gen/IEC/ICDS/2013-14/ part-III/ 60360-60697 जयपुर, दिनांक : 13-3-19

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त ।

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएं,
समस्त।

विषयः– लोकसभा आम चुनाव, 2019 के तहत आदर्श आचार संहिता के दौरान सरकारी खर्चे पर सरकार की उपलब्धियों संबंधी विज्ञापन, होर्डिंग आदि के प्रदर्शन पर निषेध करने के संबंध में दिशा निर्देश।
प्रसंगः–निर्वाचन विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.08(1)(2)निर्वा/2019/1966 दिनांक 07.03.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्रों की छाया प्रति संलग्न कर लेख है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव, 2019 आदर्श आचार संहिता–सरकारी खर्चे पर सरकार की उपलब्धियों संबंधी विज्ञापन, होर्डिंग आदि के प्रदर्शन पर निषेध के संबंध में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के पत्रों की छाया प्रति संलग्न कर भिजवायी जा रही है। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करावे।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: F26(4)(18)gen/IEC/ICDS/2013-14/ part-III/ 60698-60712 जयपुर, दिनांक : 13-3-19

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, वरिष्ठ शासन उप सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर के पत्र दिनांक 12.03.2019 के संदर्भ में।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
5. समस्त अधिकारिगण, मुख्यालय
6. एसीपी(उप निदेशक), मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

सहायक निदेशक (आईईसी),
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

B.O. ICDS / Dir., WE / Sr. DS
Dir., ICDS
8-3-2019

महिला एवं बाल विकास विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
क्रमांक 517
दिनांक 11/03/19

173

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांक प.8(1)(2)निर्वा/2019/1966 जयपुर, दिनांकः 7-3-19

696
8/3/19

प्रेषकः मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति : मुख्य सचिव
राजस्थान सरकार,
जयपुर।

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
राजस्थान, जयपुर।

आयुक्त
सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य सूचना अधिकारी
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र
सचिवालय, जयपुर।

विषय : लोकसभा आम चुनाव, 2019 – आदर्श आचार सहिता – सरकारी खर्चे पर सरकार की उपलब्धियों संबंधी विज्ञापन, होर्डिंग्स आदि के प्रदर्शन पर निषेध बाबत्।

प्रसंग : भारत निर्वाचन आयोग के पत्र (1) कमांक 437/6/2004–PLN III/दिनांक 08.03.04, (2) कमांक 437/6/2007(INST) PLN III दिनांक 21.11.2007 (3) कमांक 437/6/2007/INST/2008-CC&BE दिनांक 28.03.2009 (4) कमांक 437/6/INST/2008-CC&BE दिनांक 01.04.2009 एवं कमांक 437/6/INST/2015-CCS दिनांक 29.12.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव, 2019 के कार्यकम की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आ जायेगी, जो कि निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रभाव में रहेंगी। चुनाव कार्यकम की घोषणा की जानकारी आपको विभिन्न संचार के माध्यमों से प्राप्त हो जायेगी एवं इस विभाग द्वारा भी यथा–समय सूचित कर दिया जायेगा।

भारत निर्वाचन आयोग ने प्रासंगिक पत्रों के द्वारा आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आते ही निम्नांकित कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं:–

1. सरकारी/सार्वजनिक कोष से सरकार की उपलब्धियां दर्शाने संबंधी विज्ञापन, होर्डिंग्स, पोस्टर आदि नहीं लगाये जा सकते और यदि लगाये हुए हैं तो उनको तुरन्त हटा लिया जावें एवं इसकी पालना रिपोर्ट आयोग को प्रेषित करने हेतु इस विभाग को अविलम्ब प्रेषित करावें।

Scanned by CamScanner

(174)

2. समाचार पत्रों, इलेक्ट्रोनिक मीडिया या अन्य मीडिया के माध्यम से राजकीय कोष से सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से किसी भी उपलब्धि बाबत् विज्ञापन एवं राजनैतिक प्रवृत्ति के समाचार प्रसारित नहीं किये जावें।
3. राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक उपक्रमों की वेबसाईट से मंत्रियों, राजनैतिक व्यक्तियों अथवा दलों के संदर्भ/फोटो आदि यदि है तो उन्हें तुरन्त हटा लिये जावें एवं इसकी पालना रिपोर्ट आयोग को प्रेषित करने हेतु इस विभाग को अविलम्ब प्रेषित करावें।
4. सरकारी/सार्वजनिक भवनों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण एवं अन्य राजनैतिक व्यक्तियों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, अतीत के विख्यात ऐतिहासिक पुरूषों, कवियों एवं राष्ट्रीय नेताओं को छोड़कर) के फोटोग्राफ नहीं लगाये जा सकते और यदि लगे हुए है तो उनको तुरन्त हटा लिया जावें।

अतः भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्रों की छाया प्रतियां संलग्न कर अनुरोध है कि आयोग के निर्देशों की पालना आप अपने अधीनस्थ सभी विभागों/स्थानीय निकायों/सार्वजनिक उपक्रमों से सुनिश्चित करावें, साथ ही आयोग को प्रेषित करने हेतु पालना रिपोर्ट इस विभाग को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद अविलम्ब भिजवायें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आनन्द कुमार)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः प.8(1)(2)निर्वा/2019/ 1966 जयपुर, दिनांकः 7-3-19

प्रतिलिपि मय आयोग के प्रासंगिक पत्रों की प्रति निम्नांकित को प्रेषित कर लेख है कि आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आते ही आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें:-

1. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, (IEC) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
4. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर्स) राजस्थान।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

(2)